शिक्षा का अधिकार (Right to Education) →

बच्चे किसी भी देश के सर्वोच्च सम्पत्ति हैं। वे संभावित मानव संसाधन है। और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। RTE अधिनियम विभिन्न विशेषताओं के साथ आ रहा है। यह एक अनिवार्य प्रकृति है। इसलिए इसमें लम्बा समय लगा। और सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता सपना लाने के लिए आ गया है। शिक्षा एक संवैधानिक अधिकार के रूप में था वह अब एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त कर चुका है। भारत के संविधान की शुरुआत में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के तहत मान्यता दी गई थी। जिसके अनुसार "राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता करने के लिए काम करते है"

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 45 के तहत कार्य करता है। सभी राज्य का अधिकार होता है कि वह प्रारम्भ से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। इसके साथ ही अनुसूचीत जाति, अनुसूचित जनजाति, और समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा देना।

Scanned with CamScanner

2002 संविधान के छियासीवें संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचाना जाने लगा। लेख 21A में कहा गया है कि " राज्य राज्य के रूप में इस तरीके से विधि द्वारा निर्धारित करेगा तथा 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

संविधान के 86 वें में संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21(A) जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6-14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए आबंद करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 38 खण्ड है। इस अधिनियम के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख (5.64%) बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते, जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये की 5 वर्षों में आवश्यकता होगी। जिसमें से 25 हजार करोड़ रुपये वित्त आयोग राज्यों को देगा।

Scanned with CamScanner

सतत शिक्षा → जीवन पर्यन्त शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया या शिक्षा है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को उसके जीवन के विभिन्न चरणों में जमाने के साथ चलने के लिए आवश्यक ज्ञान व कौशल प्रदान करना है। सतत शिक्षा के कार्य में जन शिक्षण निलियम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसके तहत चार-पाँच गाँवों के समूह जिनकी आबादी लगभग 5000 है, के लिए एक जन शिक्षण निलियम खोला जाएगा।

सतत शिक्षा का प्रारम्भ पत्राचार शिक्षा के रूप में हुआ। भारत वर्ष में 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय (Open University) के द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम का शुभारम्भ किया गया था। 1971 में ब्रिटेन के मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा अपने शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने के उपरान्त सतत शिक्षा का तेजी से विकास हुआ। सतत शिक्षा से तात्पर्य लगातार शिक्षा प्रदान करने से है। सतत शिक्षा का प्रत्यय पत्राचार शिक्षा से अधिक व्यापक है। सतत शिक्षा के कार्यों में सायंकालीन कक्षा लगाना, पुस्तकालय तथा वाचनालय की व्यवस्था करना, जनसमस्याओं पर चर्चा करने के लिए चर्चा मण्डल गठित करना, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा संरक्षण आदि की नवीन जानकारी प्रदान करने के लिए सरल व कम अवधि वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, खेल तथा साहसपूर्ण कार्य कलापों का आयोजन करना, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों को आयोजित करना आदि आते

है। ट्रेड यूनियन विश्वविद्यालय, कालेज, पुस्तक प्रकाशन, सायंकालीन पुस्तकालय व वाचनालय आदि के माध्यम से भी सतत् शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है। दूसरे शब्दों में दूरस्थ शिक्षा में मुद्रित सामग्री रेडियो व दूरदर्शन प्रसारण, श्रव्य-दृश्य सामग्री, कम्प्यूटर तथा अध्ययन केन्द्र जैसे साधनों का उपयोग करके शिक्षा प्रदान की जाती है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) सतत् शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

Scanned with CamScanner